

प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

#### WEEKLY

सं. 6)

नई दिल्ली, फरवरी 12—फरवरी 18, 2017, शनिवार/माघ 23—माघ 29, 1938

No. 6]

NEW DELHI, FEBRUARY 12—FEBRUARY 18, 2017, SATURDAY/MAGHA 23—MAGHA 29, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

## उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 41.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान [मैकेनिक (उपकरण)/फाइन मैकेनिक] भर्ती नियम, 1989, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में उपकरण मैकेनिक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, उपकरण मैकेनिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(5)	(6)	(7)
Not applicable	Relaxable for Government Servants upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).  Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	Essential:  (i) 12 <sup>th</sup> pass or equivalent from a recognised Board or University.  (ii) Qualifying license for driving cars with at least two years experience in driving.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years.	By direct recruitment.  Note: Age prescribed for direct recruits will not apply in the case of erstwhile Group-D employees of National Sugar Institute. Kanpur in the scale of Rs.5200-20200/- with grade pay of Rs. 1800/

(11)	(12)		(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Com- confirmation):-	'C' Departmental Promotion Committee (for mation):-	
	Senior Administrative Officer,     National Sugar Institute, Kanpur.     Technical Officer,	- Chairman	
	National Sugar Institute, Kanpur 3. Junior Technical Officer,	- Member	
	National Sugar Institute, Kanpur	- Member	

[F. No. A-12018/11/2016-SA] RAJIV MAHENDRU, Dy. Secy.

# स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 43.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बी. सी. जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 जहां तक उसका संबंध मोटर ड्राइवर सह-क्लीनर के पद से है को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी. सी. जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी चेन्नई में मोटर चालक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ . (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, मोटर चालक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद -संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता .- वह व्यक्ति, -
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या ;
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति .- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति .- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

# अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मोटर चालक	02* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अननुसचिवीय	स्तर –2 (19900 - 63200 रु.)	लागू नहीं होता	18 वर्ष से 25 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थीयों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  टिप्पण - आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख

	5	होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम अरुणाचल, मेघालय, जम्मू कश्मीर सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, प्रदेश राज्य के लद्दाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले, तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
		टिप्पण 2 यदि सीधी भर्ती, सीधी खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाती है तो, आयु-सीमा 18-27 वर्ष होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
आवश्यक अर्हता :	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए या पुनर्नियोजन के लिए दो वर्ष।
(i) 10 वीं स्तर उत्तीर्ण ।		*
(ii) मोटर कार के लिए वैद्य चालन अनुज्ञाप्ति रखता हो; और		
(iii) कम से कम तीन वर्ष के लिए मोटर कार चालन का अनुभव।		
वांछनीय : गृह रक्षी /सिविल स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष सेवा का अनुभव।	¥	:
टिप्पण 1 : अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		
टिप्पण 2: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	ų.	

या आ	हो पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्तित द्वारा या प्रतिनियुक्ति मेलन द्वारा तथा विभिन्त पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली यों की प्रतिशतता।	दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति य आमेलन किया जाएगा।	
1 11 1 11	(10)	(11)	
(i)	प्रतिनियुक्ति या आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन	प्रतिनियुक्ति/आमेलन: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900 – 63200 रू0) में ऐसे नियमित सवार हरकारा (समूह 'ग' पद) और समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिनके पास मोटर कार चालन सक्षमता परखने वे लिए चालन परीक्षा के आधार पर मोटर कार के लिए वैध चालन अनुज्ञप्ति हो, जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900 – 63200 रू0) में ऐसे नियमित सवार हरकारा (समूह 'ग' पद) और समूह 'ग कर्मचारियों में से जो स्तंभ (7) में यथा-विनिर्दिष्ट आवश्यक अर्हताओं को पूरा करते हों।	
	3	सशस्त्र बलों के कार्मिक के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन:	
s		सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है तत्पश्चात उन्हें पुनिर्नयोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।	
	÷	टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुा- सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जिसमें	लागू नहीं होता ।

वर्ष से अधिक नहीं होगी।

निम्नलिखित होंगे :-		
1. निदेशक, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई	-अध्यक्ष	
2. उप सहायक निदेशक ,बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्न	£	
	-सदस्य	
3. तकनीकी अधिकारी, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई		
	- सदस्य	
4. केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार से राजपत्रित अधिकारी		
	- सदस्य	

फा.सं.ए-12018/14/2015- ईपीआई<u>।</u>

बी. एल. मीणा, अवर सचिव

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 7th February, 2017

- G.S.R. 43.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Madras, (Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Motor Driver-cum Cleaner, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Motor Driver in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai namely:
- 1. Short title and commencement .- (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Motor Driver (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2017.
  - (2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and Level in the Pay Matrix.- The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification. No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax .- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving .- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### **SCHEDULE**

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non – selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Motor Driver	2* (2017)  *Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C' Non - Ministerial	Level- 2 (Rs. 19900- 63200)	Not applicable	18-25 years (Relaxable for Departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	(i) Pass in 10 <sup>th</sup> standard. (ii) Possessing a valid driving license for motor cars: and

	Note The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed from those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands and Union Territory of Lakshdweep).  Note If the direct recruitment is to be made by direct open competitive Examination, the age limit shall be 18-27 years.	driving a motor car for at least three years.  Desirable: Three years' service as Home Guard/ Civil Volunteers.  Note I The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority.  Note 2 In the case of condidates belonging to the
--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Probation,	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	
(8)	(9)	(10)	
Not applicable	Two years for direct recruits or re- employed	Deputation or absorption failing which by direct recruitment For Armed Forces Personnel: Deputation/ Re- employment	

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Serviced Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	. (12)	(13)
Deputation/ Absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C' Post) and Group C employees in Level-2 (Rs. 19900-63200), who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in Level-2	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of-  (1) Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai - Chairman  (2) Deputy Assistant Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai -Member	Not applicable.

(Rs. 19900-63200) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7).

Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel:

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

Note.- the period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

- (3) Technical Officer, BCG Vaccine Laboratory, Chennai -Member
- (4) Gazetted Officer from Central Government/ State Government - Member

[F. No. A-12018/14/2015-EPI] B. L. MEENA, Under Secv.

# (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2017

- सा.का.नि. 44.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय, भर्ती नियम, 2016 का निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात :-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय भर्ती नियम, 2016 है |
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |
- 2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय, भर्ती नियम, 2016 में, पुस्तकालय और सूचना सहायक पद से संबन्धित क्रम संख्या 5 पर, स्तम्भ (11) के अधीन प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) शीर्षक के अधीन "विभागीय पुस्तकालय लिपिक जिन्होंने